संख्या-27/2025-353-22-4-2025-1796321

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 28 मार्च, 2025

विषय:- प्रदेश की 14 कारागारों एवं 01 डा0 सम्पूर्णानन्द प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ पर हेल्थ ए0टी0एम0 मशीन की आपूर्ति उपरान्त अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति एवं धनराशि के भुगतान की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-10099/आधु-1/15-जेल-हेल्थ-एटीएम/23-24, दिनाँक 28.02.2025, पत्र संख्या-12774/आधु-1/15-जेल-हेल्थ-एटीएम/23-24, दिनाँक 20-03-2025 एवं पत्र संख्या-14130/आधु-1/जेल हेल्थ ए0टी0एम0, दिनांक 25-03-2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- शासनादेश संख्या-58/2024/826-22-4-2024-1796321, दिनाँक 03.12.2024 द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदेश की 14 कारागारों एवं 01 डा० सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ में कुल 15 अद्द हेल्थ ए०टी०एम० मशीन की स्थापना हेतु रू0 150.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति सहित उक्त के सापेक्ष 40 प्रतिशत धनराशि रू0 60.00 लाख की अग्रिम भुगतान की अनुमति प्रदान की गयी है। शासनादेश संख्या-826 (1)-22-4-2024-1796321, दिनाँक 05.12.2024 द्वारा प्रदेश की 14 कारागारों एवं 01 डा० सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ में कुल 15 अद्द हेल्थ ए०टी०एम० मशीन की व्यवस्था हेतु भारत सरकार के उपक्रम "टेलीकम्युनिकेशन्स कंसलटेन्ट्स इंण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली" (टी०सी०आई०एल०) को कार्यदायी संस्था नामित करते हुये धनराशि रू0 60.00 लाख (रूपया साठ लाख मात्र) के अग्रिम भुगतान की अनुमति/क्रयानुमोदन प्रदान किया गया है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदेश की 14 कारागारों एवं 01 डा० सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ में कुल 15 अद्द हेल्थ ए०टी०एम० मशीन की स्थापना हेतु अवशेष धनराशि **रू0 90.00 लाख (रूपया नब्बे लाख मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति एवं उक्त धनराशि का भुगतान टेलीकम्युनिकेशन्स कंसलटेन्ट्स इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली (टी०सी०आई०एल०) के पक्ष में किए जाने अनुमति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों</u>

(1) शासनादेश संख्या-58/2024/826-22-4-2024-1796321, दिनाँक 03-12-2024 एवं शासनादेश संख्या-826 (1)-22-4-2024-1796321, दिनाँक 05-12-2024 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) महानिरीक्षक, कारागार क्रय किये जाने वाले 15 अद्द हेल्थ ए०टी०एम० मशीन की गुणवत्ता एवं उपयोगिता के संबंध में पूर्णतः संतुष्ट हो लेंगे।

(3) 15 अद्द हेल्थ ए०टी०एम० मशीन का क्रय स्वीकृत धनराशि की सीमा में किया जायेगा तथा किसी प्रकार का विचलन नही किया जायेगा।

(4) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 04.03.2024 एवं तत्संबंधी संशोधित आदेशों में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2025 तक सुनिश्चित कर लिया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 90,00,000 (रुपये नब्बे लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 025 **लेखा शीर्षक** 4070008001400 कारागारों के लिए उपकरणों, संयंत्रों एवं वाहन आदि की व्यवस्था **मानक मद** 26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-27/2025-353-22-4-2025-1796321, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) उप महाप्रबन्धक (आई.टी.एण्ड बी.डी), टेलीकम्युनिकेशन्स कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(7) निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(8) वित्त (व्यंय नियंत्रण) अनुभाग-12 / वित्त (आय-व्यगयक) अनुभाग-1/2
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।